न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 890–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 159/2007–08/अपील.

1– मुन्नालाल पुत्र भोगीराम
2– चुन्नीलाल पुत्र भोगीराम
3– रामेश्वर पुत्र भोगीराम
निवासीगण ग्राम रामपुर
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

देवीलाल पुत्र भोगीराम मृतक वारिसान
1– श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व. श्री देवीलाल
2– दिनेश पुत्र स्व. श्री देवीलाल
निवासी ग्राम रामपुर
तहसील आरोन जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री एस.एल. धाकड़,, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, आरोन जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता स्व. भोगीराम द्वारा आवेदकगण के पक्ष में ग्राम रामपुर स्थित सर्वे कमांक 74 रकबा 0.585 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 575 रकबा 0.627 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 640 रकबा 9.196 हेक्टेयर भूमि का पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अतः वसीयतनामा के आधार पर उपरोक्त भूमियों पर आवेदकगण का नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–6/04–05 दर्ज कर दिनांक 28–2–06 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अरोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–07 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–3–09 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर भूमिस्वामी स्व. भोगीराम की समस्त भूमियों पर उभय पक्ष को वारिसान के आधार पर समान भाग पर नामांतरण के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक मृतक देवीलाल मृतक भूमिस्वामी भोगीराम का बड़ा पुत्र था, और भोगीराम ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम रामपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 44, 52, 435, 570 एवं 591 कुल किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा सम्वत् 2022 में अनावेदक मृतक देवीलाल नाम से क्रय की थी एवं अनावेदक के लिए मकान भी बना दिया गया था ।

(2) आवेदकगण के पिता स्व. भोगीराम उनके साथ निवास करते थे तथा उनकी सेवा एवं सभी देखभाल करने के कारण खुशी होकर उन्होंने अपने तीनों पुत्रों आवेदकगण के नाम दिनांक 21–1–1999 को वसीयतनामा सम्पादित की थी । आवेदकगण के नाम उक्त वसीयतनामा में उल्लेखित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि भी नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–6/2004–05 में दिनांक 24–2–2006 को आदेश पारित कर कुल किता 4 कुल रकबा 9.885 हेक्टेयर पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के पक्ष

में नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–2007 को आदेश पारित कर यथावत रखा गया है ।

(3) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के उपरांत भी अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक रूप से संदेह से परे समान वसीयत के आधार पर न मानते हुए आवेदकगण के नामांतरण आदेश को निरस्त किया गया है ।

(4) आवेदकगण के पिता स्व. भोगीराम द्वारा वसीयतनामा में स्पष्ट रूप से चारों पुत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनावेदक मृतक देवीलाल को कम का भाग कय करने जो उसके नाम होने से उसका भाग उसी को दिया गया तथा शेष सम्पत्ति में अनावेदक का कोई भाग न होने से साक्ष्य के प्रमाणिकता के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जिसको निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा केवल रजिस्ट्रार के यहां पंजीयत होने का आधार होने पर वसीयतनामा निरस्त किया गया है लेकिन उसकी साक्ष्यों द्वारा प्रमाणिकता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया तथा रजिस्ट्रार के पंजीयन के संबंध में जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, वह केवल पंजीयन पर ही लागू होते हैं । जबकि वसीयतनामा पंजीकृत होना और न होना विधि के अनुसार कोई निश्चित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया गया है, जिसमें समस्त तथ्यों एवं आधारों पर सकारण आदेश पारित किया गया है, इसलिए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई निगरानी में नहीं है । अतः उनके द्वारा निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वसीयत आवेदकगण के पक्ष में है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को पैतृक मानकर वसीयत के आधार पर आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर प्राप्त स्वत्व को अमान्य किया गया है । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दु की जांच नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन

भूमि पैतृक है अथवा नहीं । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि पैतृक होने अथवा नहीं होने के संबंध में जॉच कर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–09 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तिति किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर